संख्या-31/2015-1407/नौ-5-2015-175बजट/2011

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में;

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,,
उ0प्र0 लखनऊ ।

लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2015

नगर विकास अनुभाग-5

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रखराखाव/अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (रामगंगा), सिचाई विभाग, कानपुर के पत्र संख्या-384/बैनिमंका/2014-15 दिनांक 16.02.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रावधानित धनराशि रू. 300.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू. 150.00 लाख (रू. एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित कार्यो एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, नगरीय निकाय के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं -:

1	गेटों के रखरखाव मरमत/पहियों को बदलना, गाइड रोलर, रोपस, सील्स, गेटों की पेन्टिंग, आपरेटिंग प्लेटफार्म, सुपर स्ट्रक्चर एवं बैलेंस बाक्स आदि
2	बिजली बिल 150 केवीए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन
3	वेयरिंग कोट व फर्श, लान्चिंग अप्रंग, सीसी ब्लाक्स की बाढ़ के कारण मरम्मत
4	माजिनल बंध, एफलेक्स बंध, गाइड बंध की मरम्मत
5	लाइट फिटिंग व इलेक्ट्रिक लाइट की मरम्मत
6	नालों की सफाई एवं रखरखाव
7	रिर्वायर एरिया में जलकुंभी की सफाई
8	बैराज के ऊर पुल का रखरखाव
9	सिक्योरिटी स्टाफ-1 गनर, 2 गार्ड, 2 जगहों पर प्रत्येक शिफट के लिए तथा सामान्य सुरक्षा के लिए 2 गार्डस प्रत्येक शिर्फट के लिए
10	साइट आफिस व कन्ट्रोल रूम के रखरखाव
11	बिल्डिंग मेन्टीनेन्स'अनावासीय आफिस, फील्ड हास्टल, आवासीय भवनों का रखरखाव, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति (विद्युत देयों को शामिल करते हुए), सेनिटेशन
12	अधिष्ठान व्यय

1. उक्त धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार /भारतीय-स्टेट बैंक से करते हुए अधिशासी अभियंता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यो पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यो पर व्यय नहीं की जायेगी।
4. व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31.03.2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-04-गँगा बैराज, कानपुर-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नाम डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-8-559/दस/2015 दिनांक 04 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-31/2015/1407(1)/नौ-5-2015-175बजट/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. मुख्य अभियंता (राम गंगा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 98-कैनाल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
9. वित्त (ई-8) अनुभाग/वितत(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. सुपर यूजर नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।